"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 918] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 — पौष 10, शक 1941

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–7/2015/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और AIR 1998 SC 1233 में महाराष्ट्र सरकार विरूद्ध श्रम विधि व्यवसायी संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 6 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) श्रम न्यायाधीश की नियुक्ति की रीति,– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, श्रम न्यायाधीश के पद पर समस्त नियुक्तियॉं, उच्चतर न्यायिक सेवा के कोई सदस्य, जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 की उप–धारा (3) में उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करता हो, के स्थानान्तरण द्वारा की जायेगी ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 1–7/2015/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2015/16, दिनांक 31–12–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2019

NOTIFICATION

No. F 1-7/2015/16.— In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and in the light of dictum of the Hon'ble Supreme Court in the matter of State of Maharashtra Vs Labour Law Practitioners Association and Other reported in AIR 1998SC1233 the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court and the State Public Service Commission, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 6, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Method of Appointment of Labour Judge.- All appointments to the post of Labour Judge, after the commencement of these rules, shall be made by transfer of a member of Higher Judicial Service, who fulfills the criteria mentioned in clause (a) of sub-section (3) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) and sub-section (3) of Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.D. PURBIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.